सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **836** राँची, शुक्रवार

6 अग्रहायण, 1937 (श०)

27 नवम्बर, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2015

संख्या-एल0जी0-32 **/20**15**-**126 **/लेज0 झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक** 15 **अक्टूबर, 20**15 **को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता जाता है ।**

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम, 16, **20**15**)**

पर्यटन स्थलों का, विनिष्ट एवं क्षरण से रोकने के लिए, संरक्षण एवं रख-रखाव तथा उनके पर्यटकीय संभावना के परिक्षण हेतु अधिनियम।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -**

(क) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 कहलाएगा।

(ख) यह झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा।

(ग) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -

(क) ''सक्षम प्राधिकार '' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के धारा-4 के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकार।

(ख) ''सरकार '' से अभिप्राय है, झारखण्ड सरकार।

(ग) ''विभाग '' से अभिप्राय है पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(घ) ''लोक न्यूसेन्स '' से अभिप्राय है, ऐसा कोई कार्य अथवा चूक या कोई ऐसा कार्य, प्रक्रिया, संचालन जिसमें नदी, झील या डैम के किसी भाग में जलयान (वेसल) अथवा नाव अथवा टिंबर राफ्ट अथवा तैरने वाला कोई अन्य उपकरण का संचालन या चालन भी शामिल है, जो क्षतिकारक हो अथवा जिससे क्षति या खतरा होने की संभावना हो अथवा जो दृष्टि, गंध या श्रवण की चेतना से कष्टकारी हो या कष्टकारी होने की संभावना हो अथवा जो जीवन के लिए खतरनाक हो या स्वास्थ्य अथवा सम्पत्ति सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो या ऐसा कार्य जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत् परिभाषित हो।

(ङ) ''पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र '' से अभिप्राय है ऐसा प्रक्षेत्र, स्थान, स्थल, नदी तल, समुद्र तट, जल झरना, झील, जल प्रपात आदि जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के धारा-3 के अन्तर्गत घोषित घोषित किया जाए तथा कोई भी स्थल या प्रक्षेत्र जिसे सरकार द्वारा पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र घोषित किया गया है।

(च) ''पर्यटन संभावना '' से अभिप्राय है व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह (संख्या में), जिसमें तीर्थ यात्री भी शामिल है, जो किसी पर्यटन स्थल पर घुमने के लिए जा सकते हैं।

(छ) 'पर्यटक वार्डन ' से अभिप्राय है वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति जो कि सक्षम प्राधिकार द्वारा द्वारा या तो भूतपूर्व सैनिक से सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा चयनित या स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों के बीच से चयनित, अथवा ऐसे सरकारी कर्मी जिनको इस कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाए।

(ज) 'अधिनियम ' से अभिप्राय है झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम, 2015 ।

3. पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र की घोषणा - इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि को या प्रभावी होने के उपरांत सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी प्रक्षेत्र, स्थल, स्मारक, स्थल जिसमें नदी तट, नदी तल, झरना, झील, जल प्रवाह या भूमि आदि शामिल है, को इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र घोषित कर सकती है।

4. 'सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति ' -

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार अपने किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी को को या तो सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के लिए या झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला के लिए अलग अलग सक्षम प्राधिकार घोषित कर सकती है।

(ख) सक्षम प्राधिकार इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सरकार के किसी भी अधिकारी को नियुक्त/नामित कर सकता है।

(ग) सक्षम प्राधिकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों में से कुछ शक्तियों को सक्षम प्राधिकार उपधारा उपधारा (ख) अन्तर्गत नियुक्त/नामित अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(घ) महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों या प्रक्षेत्रों पर सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यटक वार्डनों की प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति करेगी, करेगी, जो पर्यटकों को किसी भी प्रकार की लोक न्युसेन्स से बचाव करेगी।

5. लोक न्युसेन्स का रोकथाम - इस समय लागू किसी भी कानून में किसी बात या किसी दस्तावेज या संविदा या आदेश, न्यायिक निर्णय के होते हुए भी इस अधिनियम के लागू होते ही -

(क) इस अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत घोषित किसी भी पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, संगठन अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान या कोई भी पर्यटक आकर्षण स्थल या प्रक्षेत्र जिसका प्रबंधन/संचालन निजी निकायों द्वारा किया जाता हो या कोई अन्य निकाय लोक न्युसेन्स का कारण नहीं बनेगा या कोई ऐसा कार्य, प्रक्रिया, संचालन आदि जिसमें जलयान (वेसल), नाव आदि का चालन एवं परिचालन शामिल है, जिससे लोक न्युसेन्स उत्पन्न हो, नहीं करेगा तथा लोक न्युसेन्स जो पर्यटन संभावना को हानि या क्षय करे अथवा जिससे पर्यटन संभावना को हानि या क्षय होने की संभावना हो अथवा जिससे पर्यटन संभावना को हानि या क्षय हुआ हो को रोकने अथवा हटाने से नहीं चूकेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकार या तो स्वतः संज्ञान लेकर या शिकायत प्राप्त होने पर या इस संदर्भ में, बिना किसी पूर्व सूचना दिये, लिखित आदेश द्वारा किसी भी लोक न्युसेन्स का कारण होने से या इस प्रकार के किसी कार्य, प्रक्रिया, संचालन जैसा कि उपरोक्त उप धारा (क) में वर्णित है प्राधिकार के विचार में ऐसा लगे कि यह पर्यटन संभावना को हानि या क्षय पहुँचाया है अथवा हानि या क्षय पहुँचाने की संभावना हो तथा इस अधिनियम के वस्तुओं को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का अंतरिम आदेश जो उपयुक्त हो, निर्गत कर सकता है।

6. "लोक न्युसेन्स को हटाने की सूचना ' ' - यदि सक्षम प्राधिकार के विचार में कोई लोक न्युसेन्स का प्रभाव पर्यटन संभावना पर पड़ता है तो यह लोक न्युसेन्स से संबंधित वस्तु के मालिक, भी पर्यटक आकर्षण स्थल जिसका प्रबंधन/चालन निजी निकायों द्वारा किया जाता हो, दखलकार, ठेकेदार या कोई अन्य व्यक्ति जो वस्तुओं के उपयोग का का अधिकार रखता हो अथवा इन वस्तुओं पर नियंत्रण रखता हो को नोटिस जारी कर सकता है तथा उपद्रव से संबंधित वस्तु का मालिक, दखलकार, ठेकेदार या कोई अन्य व्यक्ति जो इन वस्तुओं के उपयोग का अधिकार रखता हो, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर लोक न्युसेन्स को हटा देगा और यदि इस 15 दिन की अवधि या इससे अधिक, जैसा सक्षम प्राधिकार द्वारा बढ़ायी गई अवधि जो 3 महीने से अधिक नहीं होगा, की अवधि में उपरोक्त कथित व्यक्ति द्वारा नहीं द्वारा नहीं हटाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इस प्रकार का लोक न्युसेन्स हटाया जा सकता है। सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के नियमों का पालन करते हुए विरोधी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगें।

7. लोक न्युसेन्स की वस्तु जब्त कर सरकार के हवाले कर दी जायेगी - जिस व्यक्ति के विरूद्ध लोक न्युसेन्स हटाने का नोटिस जारी किया गया हो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में, लोक न्युसेन्स को नहीं हटाने की स्थिति में लोक न्युसेन्स की वस्तु को जब्त कर सरकार के हवाले कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जब इस प्रकार की वस्तु को नीलामी की प्रक्रिया से बेचा जायेगा तो लोक न्युसेन्स को हटाने में आये खर्च से अधिक राशि प्राप्त होने पर खर्च से अधिक राशि संबंधित मालिक को भुगतान किया जाएगा। निलामी से बेचे गये वस्तु से प्राप्त राशि का लोक न्युसेन्स को हटाने में आये खर्च से कम होने की स्थिति में अवशेष राशि संबंधित मालिक से धारा 8 के प्रावधान अनुसार वसूलनीय होगा।

8. लोक न्युसेन्स को हटाने की लागत तथा खर्च - इस प्रकार के लोक न्युसेन्स को हटाने या कम करने में जो भी खर्च तथा लागत होगा, इस प्रकार के लोक न्युसेन्स के कारण व्यक्ति या वस्तु जो लोक न्युसेन्स के लिए जिम्मेदार है के मालिक/दखलकार से सक्षम प्राधिकार द्वारा उसी तरीके से वसूली की जायेगी जैसे कि भू-राजस्व बकाया की वसूली की जाती है।

9. लोक न्युसेन्स के सम्पति का निपटाव - कोई भी परिसम्पति, वस्तु, पदार्थ जो इस अधिनियम के अन्तर्गत एक लोक न्युसेन्स है, को खत्म किया जा सकता है या जैसा सरकार द्वारा उचित समझा जाय निपटाव किया जा सकता है।

10. इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा घोषित पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर कोई भी निर्माण कार्य केवल विभाग/प्राधिकार जिसे सरकारी अधिसूचना द्वारा सरकार प्राधिकृत करे, की सहमति से ही किया जा सकता है। विभाग से सहमति लिये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, कम्पनी, संगठन या कोई अन्य निकाय से सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नामित/नियुक्त पदाधिकारी द्वारा 25000.00 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।

11. (क) सरकार द्वारा घोषित पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर पूर्व से उपस्थित किसी संरचना में केवल विभाग की सहमति के के उपरान्त ही बदलाव किया जा सकेगा। विभाग से सहमति लिये बिना इस प्रकार के किसी भी प्रकार का बदलाव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, संगठन, कम्पनी या कोई अन्य निकाय से सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नामित/नियुक्त अधिकारी द्वारा 20,000.00 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

(ख) सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा इस प्रकार के बदलाव के कारण हुए हानि की क्षतिपूर्ति राशि वसूली जा सकती है, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा।

12. (क) कोई भी व्यक्ति या निकाय पर्यटन स्थलों या प्रक्षेत्र पर उपस्थित सरकारी परिसम्पति या संरचना या सुविधा को, जान बूझकर या इरादे से, क्षति या विनष्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए दोषी व्यक्ति से सक्षम प्राधिकार या या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा 10,000.00 रुपये तक का जुर्माना किया जा जा सकता है।

(ख) सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा इस प्रकार के बदलाव के कारण हुए हानि की क्षतिपूर्ति राशि वसूली जा सकती है, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा।

13. किसी भी पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर नशीले पदार्थ या शराब का सेवन एक अपराध माना जायेगा। चिकित्सकीय उपयोग के अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति का किसी पर्यटन स्थल पर नशीले पदार्थ या शराब का सेवन करने या उक्त पदार्थो के सेवन करने में सहायता प्रदान करने का दोषी पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता सकता है। अपराध एवं दण्ड से संबंधित विस्तृत सूचना तालिका- I के रूप में संलग्न है।

14. प्रत्येक पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र को गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी व्यक्ति को किसी भी पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर धुम्रपान करने का दोषी पाये जाने पर ‘‘सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नियमावली, 2008 तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार एवं वणिज्य) अधिनियम, 2003 के अनुसार सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा सजा सजा दी जा सकती है।

15. (क) पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर कूड़ा-करकट (प्लास्टिक रेपर, प्लास्टिक प्लेट फोम-प्लेट, प्लास्टिक बैग) आदि फैलाना वर्जित किया जाता है। कुड़ा-करकट आदि का निष्पादन केवल कूड़ादान में हीं किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर कूड़ेदान के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर कूड़ा-कूड़ा-करकट फेकने/फैलाने का दोषी पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित पदाधिकारी द्वारा 3000/-(तीन हजार) रूपये तक का जुर्माना किया जा जा सकता है।

(ख) इस अधिनियम के प्रभावी होने के 1 वर्ष के अन्दर विभाग राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर कूड़ादान का निर्माण/प्रावधान करायेगा।

16. पर्यटकों का यह कर्तव्य होगा कि वे, जहाँ तक संभव हो पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र को स्वच्छ रखें तथा गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे। पर्यटक यथा संभव प्लास्टिक प्लेट, फॉम प्लेट आदि (गैर जैव-निम्नीकरणीय पदार्थों) के उपयोग के स्थान पर जैव-निम्नीकरणीय पदार्थो का उपयोग करेंगे।

17. (क) अपराध एवं दंडः- कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार के आदेश अनुसार कार्यरत किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा डालता है तो उसे 25,000/-(पच्चीस हजार) रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है ।

(ख) दण्ड का यह प्रावधान इस अधिनियम (उपरोक्त 17 क) के उस धारा पर लागू नहीं होगा जिस धारा में दण्ड का प्रावधान कर दिया गया है, अर्थात धारा- 10,11,12,13,14 एवं 15 में।

(ग) जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति, कंपनी, व्यवसायिक संस्थान, संगठन या कोई अन्य निकाय किसी भी पर्यटन स्थल स्थल पर सरकारी/सार्वजनिक संपति को क्षति/नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार होगा से सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति वसूला जा सकता है, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा ।

(घ) यदि कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा किये गये जुर्माने/क्षतिपूर्ति को निर्धारित समय के अंदर जमा करने में असफल असफल होता है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार एवं उड़िसा पब्लिक डिमाण्ड अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत वसूली जाएगी ।

(ङ.) इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती होगा ।

(च) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों पर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया प्राधिकृत प्रथम श्रेणी के किसी अन्य दंडाधिकारी द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और ऐसे विचारण पर जहाँ तक हो सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों को सम्मिलित करके) के उपबन्ध लागू होंगे ।

परन्तु इस धारा के अधीन, विचारण प्रारम्भ होने पर या उसके संक्षेपतः विचारण के दौरान, जब दंडाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किसी कारण से उसका संक्षेपतः विचारण अवांछनीय है, तो दंडाधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात किसी साक्षी को, जिसका परीक्षा किया गया है, पुनः बुलाएगा और उपर्युक्त संहिता में उपबन्धित रीति से मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा ।

(छ) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दोषी पाया जाता है तो उसे पर्यटक वार्डन/विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उक्त स्थल पर ही इस अधिनियम के तालिका प् में वर्णित जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।

18. अपील -

(क) सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा दिये दिये गये आदेश के विरूद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकार, जो सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, के समक्ष किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(ख) आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपील करना अनिवार्य होगा। आदेश प्राप्ति के 30 दिनांे के उपरान्त प्राप्त प्राप्त अपील के संबंध में यदि अपीलीय प्राधिकार को ऐसा प्रतीत हो कि किसी विशेष कारण से (अस्वस्थता या कोई अन्य परिस्थिति जिसमें अपील करना संभव नहीं हो सका हो) 30 दिनों के अन्दर अपील नहीं किया जा सका है तो ऐसी स्थिति में 30 दिनों के उपरांत भी अपील स्वीकार किया जा सकेगा ।

(ग) किसी भी परिस्थिति में आदेश प्राप्त होने के 90 दिनों उपरांत प्राप्त अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा ।

19. इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षाः- इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार, सक्षम प्राधिकार या किसी अन्य अधिकारी जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित या प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा सद्भाव पूर्वक किये गए गए किसी भी कार्य के लिए उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगा ।

20. सक्षम प्राधिकार के सहायता हेतु कुछ पदाधिकारियों को कार्यः- सभी पुलिस अधिकारी, गृह रक्षक, थाना के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकार की सहायता करेंगे ।

21. नियमावली बनाने की शक्तिः- राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए नियमावली बना सकती है ।

22. कठिनाई को दूर करने की शक्तिः- इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई भी कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के संगत कोई भी कार्य, जो कठिनाई को हटाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, कर सकती हैः बर्शते कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 3 वर्ष की समाप्ति के उपरांत निर्गत नहीं किया किया जायेगा ।

....

तालिका ।

क्र०	अपराध	दण्ड
1.	विभाग/सक्षम प्राधिकार की सहमती के बिना पर्यटक स्थल पर किसी तरह का निर्माण कार्य करना।	रु 25,000/- तक की आर्थिक दण्ड।
2	विभाग/सक्षम प्राधिकार की सहमती के बिना मौजूद संरचनाओं में छेड़-छाड़ करना।	रु 20,000/- तक की आर्थिक दण्ड तथा छेड़-छाड की वजह से हुए नुकसान की राशि।
3.	जान बुझकर पर्यटक स्थल पर सरकार द्वारा बनाये गये संरचनाओं, आस्तियों या सुविधाओं को नुकसान पहुँचाना।	रु 10,000/- तक की आर्थिक दण्ड तथा संरचनाओं, आस्तियों या सुविधाओं को हुए नुकसान की राशि।
4.	पर्यटक स्थल पर नशीली पदार्थो का सेवन।	रु 5,000/- तक की आर्थिक दण्ड।
5.	पर्यटक स्थल पर शराब का सेवन।	रु1,000/- तक की आर्थिक दण्ड।
6.	पर्यटकों को पर्यटक स्थल पर विद्वेषपूर्ण या जानबुझकर नुकसान पहुँचाना।	रु 25,000/- तक की आर्थिक दण्ड।
7.	पर्यटक स्थल पर पर्यटकों की सुरक्षा से जान बुझकर खिलवाड़ करना।	रु 20,000/- तक की आर्थिक दण्ड।
8.	पर्यटक स्थल पर पर्यटकों से छेड़-छाड़।	रु 5,000/- तक की आर्थिक दण्ड।
9.	पर्यटक स्थल पर आक्रमक/अवैध पदार्थो का लाना।	रु 5,000/- तक की आर्थिक दण्ड।

****

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी0 बी0 मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2015

संख्या-एल0 जी0-32**/20**15**-**127**/लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक** 15 **अक्टूबर,20**15 **को अनुमत झारखण्ड पर्यटन स्थल** (**संरक्षण एवं रख-रखाव**) **अधिनियम**, 2015 **का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।**

The Jharkhand Tourist Places (Protection and Maintenance) Act, 2015

(Jharkhand Act 16**,** 201**5**)

An Act to protect and maintain the tourist places from deterioration and erosion and to preserve their tourism potential.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the State of Jharkhand in the Sixty sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement –

(i) This Act may be called the Jharkhand Tourist Places (Protection and Maintenance) Act, 2015.

(ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force at once.

2. Definition In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "Competent authority" means the authority appointed under section 4 of this Act;

(b) “Government” means the Government of Jharkhand;

(c) "Department" means Department of Tourism, Government of Jharkhand.

(d) ‘‘Public Nuisance" includes any act of commission or omission or carrying on of any activity, process, operation including the operation of or plying of vessels or boats or timber, raft or any other floating object in any part of Dam, River, or Lake which causes or is likely to cause injury, danger, annoyance to the sense of sight, smell or hearing or which is or may be dangerous to life or injurious to health or property or act define under Cr.P.C 1973.

(e) " A Tourist Place or Zone" means a zone, place, site, location, riverbed, beach, water spring, lake, water fall declared by the Government as tourist place or zone under section 3 of this Act and shall also include any place or zone declared by the government as tourist place or zone.

(f) "Tourism potentiality" means the number of person or group of persons including pilgrims likely to visit a tourist place.

(g) Tourist warden means those persons appointed / deputed by the competent authority either from ex-servicemen selected through army welfare board or from educated unemployed youth from the local community or any other government servant deputed/authorised for the same purpose.

(h) "Act" means the Jharkhand tourist places (protection and maintenance) act, 2015.

3. Declaration of tourist places or zone -

On and from the date of coming into force of this Act, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare any zone place, monument, site, location as a tourist place or zone for the purposes of this Act, including any river bank, riverbed, water spring, lake, water course or land, etc.

4. Appointment of competent authority –

(i) Government may, by notification in the official Gazette, appoint any gazetted officer of the Government to be a Competent Authority either for the whole of the State of Jharkhand or for each district of the State of Jharkhand for the purpose of the act.

(ii) The competent authority can appoint or nominate any officer of the government for the purpose of the act.

(iii) The competent authority can delegate some of his powers, obtained from the act, to the officers appointed / nominated under subsection (ii).

(iv) Tourist Wardens shall be deputed at all notified tourist place. These tourist wardens shall prevent any harassment happening to tourists and shall act as informant to competent authority regarding any public nuissance made at tourist place.

5. Prevention of Public nuisance - Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, or any instrument, contract or usage or any order, judgment or decree of any court, on and from the date of coming into force of this Act, -

(a) No person, company, association or firm or any tourist attraction place run/manage by private body or any other body shall cause any public nuisance or carry out any activity, process, operation, etc, including the operation of or plying of vessels, boats, etc. that causes public nuisance or omit to prevent or remove the public nuisance, which damages or deteriorates or is likely to damage or deteriorate or has damaged or deteriorated the tourism potentiality of any tourist place or zone, declared as such, under section 3 of this Act.

(b) The competent authority, either on its own motion or upon a complaint received or upon reference made to it, may, by an order in writing and without giving any prior notice, prohibit any public nuisance being caused or prevent any such activity, process, operation as referred to in clause (a) above being carried out, if in the opinion of the said competent authority, it has damaged or deteriorated or is likely to damage or deteriorate the tourism potentiality of any tourist place, and pass such interim orders as it deems fit to give effect to the objects of this Act.

6. Notice for removing the public nuisance - If, in the opinion of the competent authority, a public nuisance is having impact on the tourism potentiality, it shall issue notice to the owner, any tourist attraction place run/manage by private body, occupier, lessee or any person enjoying right of usage or has control of the object which has contributed to the nuisance and the owner, occupier, lessee or any person enjoying right of usage or has control of the object, as the case may be, shall within a period of 15 days from the date of receipt of such notice, abate or remove the same, and unless the same is removed or abated by the said person within the said period of 15 days or such further time as may be extended by the competent authority, but not exceeding 3 months, the competent authority shall cause removal of such nuisance. The competent authority will follow the principal of natural justice and give the hearing opportunity to the opposition party.

7. Object of Public nuisance shall stand forfeited and vest in the Government - On the failure of the owner, occupier, lessee or any person against whom notice of removal of public nuisance is issued, to comply with the order of removal of such public nuisance within the time fixed by the competent authority, the material thing or object of nuisance shall stand forfeited and vest in the

Government, except that when such material thing or object is sold in public auction , any sum over and above the cost of removal of public nuisance, shall be payable to its owner. In case the cost of removal exceeds the sale price in auction the balance shall be recovered from the concerned owner, as provided in Section 8.

8. **Expenses and costs for removing the public nuisance -** The expenses and costs incurred, if any, in removing or abating such public nuisance shall be recovered from the person who has caused such public nuisance or from the owner/occupier of the object which has contributed to the public nuisance, in the same manner as arrears of land revenue by the competent authority.

9. **Dealing with the property of public nuisance -** Any property, thing, material or object, which is a public nuisance under this Act, may be disposed off or dealt with by the Government, in the manner it deems fit.

10. Any construction work at a place declared by the Government as a Tourist Place under the act can only be done after consent of the department / Authority decided by government through official notification. Any person or Society or Company or any other body responsible for any type of construction work at a Tourist Place declared by the government as tourist place without the consent of the department may be charged a fine upto Rs. 25000.00 (Twenty Five Thousand) either by the competent authority or by the officer nominated/appointed for the purpose by the competent authority.

11. (a) Any Alteration in the existing structure at a place declared by the Government as a Tourist Place under the act can only be done after consent of the department / Authority decided by government through official notification. Any person or Society or Company or any other body responsible for any type of such alteration without the consent of the department may be charged a fine upto Rs. 20000.00 (Twenty Thousand) either by the competent authority or by the officer nominated/appointed for the purpose by the competent authority.

(b) The competent authority or the Officer appointed/nominated by the competent authority for the purpose of the act may also charge compensation for the loss occured due to such alteration, which will be in addition to fine.

12. (a) No person/body is allowed to, intentionally or deliberately, destroy or damage the structure(s), assets or facilities of the Government at a tourist place. Any Person/body found guilty for the same may be charged a fine upto Rs. 10000 (Ten Thousand) either by the competent authority or by the officer nominated/appointed for the purpose of the act by the competent authority.

(b) The competent authority or the Officer appointed/nominated by the competent authority for the purpose of the act may also charge compensation equal to the monetary value of loss due to the damage, which will be in addition to fine.

13. Consumption of Narcotic Substances or Alcoholic Beverage at A Tourist Place will be treated as an offence. Any person found guilty of consuming Narcotic Substances or Alcoholic Beverage or helping or assisting the other in consuming narcotic substances or alcoholic beverage except for medicinal use may be charged a fine upto Rs. 25000(Twenty Five Thousand) either by the competent authority or by the officer nominated/appointed for the purpose of the act by the competent authority. Details of offences and their penalties are attached as Schedule I.

14. Each Tourist Place is being declared as No Smoking Zone. A person found guilty of Smoking at A Tourist Place will be punished with the provisions in The Smoking in Public Places Rules, 2008 and Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 either by the competent authority or by the officer nominated/appointed for the purpose of the act by the competent authority.

15. (a) Spreading waste (Plates, Plastic wrappers and bags etc.) at a Tourist Place is being prohibited. Waste materials can only be thrown in the **Dustbin**. Any person found throwing waste, except in the dustbin, at a tourist place may be charged a fine upto Rs. 3000 (Three Thousand) either by the competent authority or by the officer nominated/appointed for the purpose of the act by the competent authority.

(b) The Department will construct/provide dustbin at all tourist place of the state within One year from the date of enactment of the act.

16. It will be the duty of the visitor(s) to keep the tourist place clean and not to use non-biodegradable materials so far as possible. The visitor(s) should use Biodegradable plates instead of using Plastic or Foam plates, etc. (Non bio – degradable material) so far as possible.

17. Offences and penalties –

(i) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or fails to comply with any order or directions given under the Act or obstructs any person acting under the orders or directions of the Competent Authority from exercising his powers and performing his functions under this Act, shall be fined upto Rs. 25,000/- (Twenty Five thousand rupees).

(ii) The provisional of above (Subsection – 17(i)) the penalty will not apply to the sections of the act in which the provision for penalty has been made i.e. in section 10, 11, 12, 13, 14 and 15.

(iii) Wherever a person or a company or a firm or a society or any other body is found responsible for any damage of the Government/Public property at a tourist place, the competent authority or the officer appointed/nominated by the competent authority for the purpose of the act may charge fine and compensation for the damage.

(iv) If any body fails to deposit the fine or compensation charged either by the competent authority or by the officer nominated/appointed for the purpose of the act by the competent authority within the stipulated time, it shall be recoverd by the competent authority under the provisson incorporated for recovering in Bihar and Orissa Public demand recovery Act 1914.

(v) Any offence committed under this Act shall be cognizable and non-bailable.

(vi) All offences under this Act shall be tried in a summary way by a Judicial Magistrate of the First Class specially authorised by the High Court and the provisions of Sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply to such a trial provided that when at the commencement of or in the course of a summary trial under this section, it appears to the Magistrate that the nature of the case is such that it is for any reason, undesirable to try summarily, the Magistrate shall after hearing the parties record an order to that effect and thereafter recall any witness, who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.

(vii) If any person found guilt under this act then the tourism warden/authorised official by department may impose fine as per schedule I of this act on the spot.

18. Appeal –

(i) An appeal shall lie against the order passed by the competent authority or the officer appointed/ nominated for the purpose of the act under this Act to the appellate authority which will be the Secretary, Tourism, Government of Jharkhand, whose decision on appeal shall be final.

(ii) The appeal must be done within 30 days from the date of receipt of the order the appeal. In case of appeal received after 30 days from the date of receipt of the order, if the appellate authority thinks that appeal could not be filed within the said 30 days for some

specific causes or conditions (illness or some other condition in which the appeal could not be filed), the appellate authority may accept the appeal after the said 30 days period.

(iii) No appeal in any condition can be accepted after 90 day from the date of receipt of the order.

19. Protection for acts done under this Act - No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie in any court, against the Government, Competent Authority or any of its officers or persons duly appointed / nominated or authorized by it in respect of anything which is done in good faith or is intended to be done in pursuance of or under this Act or the rules made there under.

20. Certain officers to act in aid of Competent Authority - All officers of the police force, home guards, person in-charge of Police station shall act in aid of the orders of Competent Authority.

21. Power to make rules - The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

22. Power to remove difficulties - If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, do anything not inconsistent with the provisions of this Act which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiration of three years from the commencement of this Act.

*****

Schedule – I

Sl No.	Offence	Penalty
1.	Any construction at tourist place without the consent of department / competent authority.	Fine upto Rs. 25,000/-
2.	Any alteration in the existing structure without the consent of department / competent authority.	Fine upto Rs. 20,000/- Plus compensation for the loss occured due to such alteration.
3.	Intentionally or delibrately destroy or damage the structure(s), assets or facilities of the government provided at tourist place.	Fine upto Rs. 10,000/- Plus compensation equal to monetary value of loss due to the damage.

4.	Consumption of Narcotic Substances at tourist place except for medicinal use.	Fine upto Rs. 5000/-
5.	Consumption of Alcoholic beverage / Drunkeness.	Fine upto Rs. 1000/-
6.	Maliciously hurting or attempt to hurt tourists at tourist place.	Fine upto Rs. 25000/-
7.	Endangering tourist safety by willfull act.	Fine upto Rs. 20000/-
8.	Molestation of tourists at tourist place	Fine upto Rs. 5000/-
9.	Carrying offensive materials.	Fine upto Rs. 5000/-

*****

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी0 बी0 मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 836—50 ।